

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार कामिल खडिया पिता - धातरे खडिया को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के सिलबानुस करकेडा द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम समसेरा खाता नं० २९१ रकबा - ०.५१ रं० वर्ष १९५१ का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान सिलबानुस करकेडा ने अपना विहित दायित्व है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त कम्य रॉफि दस्तावेज प्रती है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार उप नही है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम समसेरा खाता न० २९१ प्लॉट न० सर्वे खतियान में किस्म खेत एवं अधिकार दर्ज नही सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अ०नि० ने अनियमित करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कामिल खडिया पिता - धातरे खडिया ग्राम - समसेरा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
समसेरा	६७	२९१	-	०.५१ रं०

अतः विभागीय पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में उक्त जमाबन्दी का नियमितिकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
अंचल अधिकारी,
बोकारो

अंचल अधिकारी,
बोकारो